कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-14.10.2024

विषयः- दुष्कर्म, पॉक्सो व आई0टी0 एक्ट के मुकदमे में वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ चंदन प्रजापति थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-607/2024 धारा 64/352/351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 67-ए आई0टी0 एक्ट थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित नामजद वांछित अभियुक्त सोनू उर्फ चंदन प्रजापति पुत्र वशिष्ट प्रजापति निवासी अग्निगाँव थाना दरिगांव सासाराम जनपद रोहतास बिहार को आज दिनांक-14.10.2024 को समय करीब 07.15 बजे बहादुरपुर कट के पास थाना चौबेपुर वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-17.09.2024 को वादिनी मुकदमा/पीड़िता की माँ ने विपक्षी सोनू प्रजापति द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री की मांग में जबरदस्ती सिन्दूर डालकर उसके साथ मोबाईल में फोटो लेकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाने, वादिनी द्वारा उक्त के संबंध मे विपक्षी सोनू प्रजापति से जब फोन पर पूछा गया कि तुमने मेरी नाबालिग पुत्री के साथ ऐसा क्यों किया तब उसने कहा कि मैं ऐसा कई लोगों के साथ कर चुका हूँ एवं विपक्षी सोनू प्रजापति द्वारा अपने भाई नीतिश कुमार व दोस्त दीलिप कुमार के माध्यम से वादिनी व उनकी नाबालिग पुत्री को जान-माल की धमकी देते हुए स्पष्ट रूप से शादी से इंकार कर देने के संबंध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर थाना चौबेपुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

सोनू उर्फ चंदन प्रजापति पुत्र वशिष्ट प्रजापति निवासी अग्निगाँव थाना दरिगांव सासाराम जनपद रोहतास बिहार, उम्र करीब 24 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय- बहादुरपुर कट के पास थाना चौबेपुर वाराणसी से, दिनांक-14.10.2024 को समय करीब 07.15 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-607/2024 धारा 64/352/351(2) बी0एन0एस0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 67 ए आई0टी0 एक्ट थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 जगदीश कुशवाहा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2.हे0का0 अजय कुमार तिवारी थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3.हे0का0 रूप सिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4.हे0का0 रामसिंह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।